न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 15/73

सीताराम मेहर पुत्र श्री गोपाल लाल जाति मेहर पेशा काश्तकारी निवासी नयापुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

जगदीश प्रसाद पुत्र श्री देवी लाल जाति कलाल निवासी बाटम लेवल लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमन्त योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दयाकृष्ण विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांकः 09.05.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा एवं अन्तर्गत धारा 92 क के अन्तर्गत ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ की आराजी गत खसरा नम्बर 2280 रकबा 26 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से 04 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर अपना कब्जा बताते हुए वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद धारा 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार करते हुए प्रतिवादी का धारा 0?92 क के तहत स्थायी निषेधाज्ञा पूर्वक वादग्रस्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करने के लिए पाबन्द करें ।

3. तत्पश्चात् प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने उक्त वादग्रस्त आराजी पर स्वयं को अतिक्रमी बताते हुए वाद प्रस्तुत किया है परन्तु प्रस्तुत वाद में उन्होंने भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वह प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था । इसलिए वादी को उक्त वाद मे पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने से वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज फरमाया जावे । वादी का वाद दीवानी प्रक्रिया संहिता व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से वादी का वाद कानूनी रूप से वर्जित होने से खारिज फरमाया जावे ।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2014 के द्वारा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में आदेश 07 नियम 03 सीपीसी के प्रावधान आज्ञापक मानकर तथा महज नये खसरा नम्बर विवादित भूमि के अंकित नहीं करने तथा विवादित आराजी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कोई अधिकार विवादित आराजी बाबत् प्राप्त नहीं होने को आधार मानकर अवैधानिक रूप से कानून के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एंव डिक्री पारित की है जबकि वादी अपीलान्ट ने अपने वादपत्र में आदेश नियम 03 सीपीसी की पूर्ण पालना की है । वादी अपीलान्ट अपने वादपत्र में यह अंकित करके आया है कि वादग्रस्त आराजी में वादी अपीलान्ट का पुराना कब्जा होने से उनको नियमन का अधिकार प्राप्त है व उस अधिकार को बदनियतिपूर्वक नाजायज रूप से कब्जा करने पर उतारू होकर नियमन के अधिकार को समाप्त करने नियमन के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। आदेश 07 नियम 03 सीपीसी के प्रावधान आज्ञापक नहीं है । सीमाबन्दी का अभाव साबित भी हो तो भी वादी को अचल सम्पत्ति की पहचान बताने के लिए बिना अवसर दिये वाद को खारिज नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2014 निरस्त फरमाया जावे एवं वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र वादी के पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आगामी कार्यवाही जवाबदावा साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड की जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादी अपीलान्ट ने उक्त वादग्रस्त आराजी पर स्वयं को अतिक्रमी बताते हुए वाद प्रस्तुत किया है परन्तु प्रस्तुत वाद में उन्होंने भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वह प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था । इसलिए वादी को उक्त वाद मे पक्षकारों के असंयोजन का दोष होने से वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज फरमाया जावे । वादी का वाद दीवानी प्रकिया संहिता व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से वादी का वाद कानूनी रूप सही नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 05.06.2014 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन

या । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर तथ्यों को सही रूप से प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर दावा खारिज किया है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को नजीर आर.आर.डी. 2011 पेज 603 की रोशनी में उचित एवं विधि सम्मत नहीं मानते हैं । उक्त नजीर में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि वादकरण हेतु केवल एवं केवल वादपत्र एवं उसके संलग्न दस्तावेजों पर ही विचार किया जाना चाहिए । आर.आर.डी. 2011 पेज 603 का हैड नोट इस प्रकार से है :- "Code of Civil procedure, Order 07 Rule 11 – Scope of Application filed by the petitioner-defendants under Order 7, Rule 11 CPC was finally rejected by the Board upholding the decision of R.A.A. – Held, at the stage when application under Order 7, Rule 11 was filed by petitioner-defendant it has to be examined by the trial court whether the court has jurisdiction to examine the case based on facts mentioned in the plaint itself-Nofurther supporting material is required to be looked into....." अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों पर विचार कर निर्णय करने में त्रुटि की है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जिन तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया था वह अनिर्णित ही हैं और केवल प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद के तथ्यों का निर्णय विधि सम्मत नहीं हो सकता । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जो पक्षकारों की साक्ष्य के बिना निर्णय पारित नहीं किया जा सकता ।

12. प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य जो विवाद है उस पर पक्षकारान की साक्ष्य एवं दस्तावेज लिये बिना किसी प्रकार के निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि वादीगण ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है । जिसमें पक्षकारानर के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण भी होना है जिनका निर्धारण गुणावगुण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में ही हो सकता है । अपीलीय न्यायालय को इस सम्बन्ध में इस स्तर पर ज्यादा विवेचन किया जाना उचित नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण एवं विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दावा एंव जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा